रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022020-215917
CG-DL-E-04022020-215917

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2020/माघ 8, 1941
No. 380] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2020/MAGHA 8, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2020

का.आ. 412(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5834(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2018, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 26 नवम्बर, 2018, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य 608.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिला के कोडाईकनाल और पलानी तालुकों और थेनी जिला के पेरियाकुलम तालुक में स्थित है;

और, कोडाईकनाल वन संभाग का गठन 19अप्रैल,1982 को जी.ओ.एमएस.सं.468 के अनुसार पूर्व मदुरई उत्तर संभाग जिसका मुख्यालय कोडाईकनाल में है और जैसा कि जी.ओ.एम.एस. सं 261 तारीख 21 मार्च, 1977 में आदेश दिया गया था, मदुरई और डिंडीगूल जिलों के अंतर्गत मदुरई राजस्व जिला के द्विभाजन पर जी.ओ.एम.एस.सं 640 तारीख 22 अप्रैल, 1985 के अनुसार थेनी वन संभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। संभाग में समीपस्थ और सघन खंड हैं और जो कोडाईकनाल तालुक में स्थित है और डिंडीगुल जिला में पलानी तालुक का भाग है और थेनी जिला में पेरियाकुलम तालुक का भाग है। कोडाईकनाल वन संभाग में जी.ओ.सं. 143 पर्यावरण और वन (एफ आर-5) तारीख: 20 सितम्बर, 2013 को कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया;

और, कोडाईकनाल वन संभाग के वन पश्चिम में केरल राज्य, उत्तर-पश्चिम में कोयंबटूर राजस्व जिला; उत्तर-पूर्व में डिंडीगुल वन संभाग, दक्षिण-पूर्व में मदुरई राजस्व जिला और दक्षिण में थेनी वन संभाग के चारों ओर पूर्व देशांतर $77^0$16' और 77^0 45' और उत्तर अक्षांश 10^0 20'और $10^0$5' के बीच में आते है;

और, कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य विविध वनस्पति और जीवजंतुओं के लिए महत्त्वपूर्ण और अद्‌भुत पर्यावास है जिसमें स्तनधारियों की लगभग 44 प्रजातियां के लिए पारिस्थितिकी सतत पर्यावास प्रदान करता है इसमें लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे बाघ, हाथी, नीलगिरी थार, आदि सम्मिलित है। यह पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियों, सरीसृप की 40 प्रजातियों, उभयचर की 8 प्रजातियां, तितलियों की 202 प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के बृहत विविध जैसे घासभूमि, ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र, मार्श पारिस्थितिकी तंत्र, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन और शोला वन का आश्रय प्रदान करता है। कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास भौतिक और जैविक विविधता को संरक्षित करना आवश्यक है;

और, अभयारण्य में वनस्पति विविधता असाधारण है। क्षेत्र का बायोटा बेहद विविध है जिसमें 2478 पुष्पित पौधे की प्रजातियां के 201 परिवार है जिसमें से 1758 स्थानीय प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र में 161 प्रजातियां प्राकृतिक है; 344 खेती प्रजातियां और 215 बाग प्रजातियां हैं। पचाइ सवुक्कु (अकैशिया देक्र्रेनेस), सोक्काला (अगलानिया इलेबगनोइदेयिया, एशियाटिक पेन्नयवोरट (केंटल्ला असिअटीका), अर्बिअन जस्मिने (**जसमिनुम सम्बक**) आदि वनस्पति के उदारण हैं;

और, अभयारण्य में पक्षियों, तितलियों, कीड़े-मकोड़ों, सरीसृपों, उभयचरों और स्तनधारियों की विविधता है। बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), इंडियन गौर (*बोस* गौरस), हाथी (*एलिफस मैक्सीमूस*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), समान्य लंगूर (सेम्नोपिथेकुस) आदि स्तनधारी के उदाहरण हैं। रेड-विस्केरेड बुलबुल (*फयकनोनोटुस जोकोउस*), *समान्य* किंगफ़िशर (*अल्केदो अट्टहीस*), *बेबरा स्परोंक*-हवक हवक (विरगटुस बेसरा) *आदि पक्षियाँ हैं। सामान्य एशियन टोड (बुफो मेलानोस्टीकटुस),*इंडियन स्किप्पर मेढक *(इयफ्लयटिस कयनोफयेटीस)* आदि उभयचरों के उदाहरण है;

और, कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियों की 32 प्रजातियां और स्थानिक प्रजातियों की 49 प्रजातियां हैं। जिसमें पक्षी (29 प्रजातियां), तितली (12 प्रजातियां), उभयचर (8 प्रजातियां) सम्मिलित हैं। इस अभयारण्य में स्थानिक वनस्पति प्रजातियां लुप्तप्राय है और स्थानिक शोला वन है;

और, कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा और (1) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल और थेनी जिला में कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 106.78 वर्ग किलोमीटर है। (पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार केरल के साथ अंतर-राज्यीय सीमा और नगरी के उपस्थिति के कारण है।)

(2) कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य

के मानचित्र **उपाबंध–IIक, उपाबंध–IIख, उपाबंध–IIग उपाबंध–IIघ, उपाबंध–II ङ** और **उपाबंध–II च** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के शून्य विस्तार के प्रमुख अवस्थान और कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांको की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क,** सारणी **ख** और सारणी **ग** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांको के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग;
(xii) राजमार्ग;
(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

IndiaCode

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

(10) उक्त आंचलिक महायोजना स्थानीय सामुदायिक विकास की सुरक्षा के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकास सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या

उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) *संरक्षित क्षेत्र* की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि *संरक्षित क्षेत्र* की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों)ईएसएम (का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों को विनियमित और सख्ती से मानीटरी की जानी चाहिए।

IndiaCode

24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक संकेत और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का संघटक**	**पदनाम**
(i)	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष;
(ii)	जिला वन अधिकारी, डिंडीगुल डिवीजन	सदस्य;
(iii)	सहायक निदेशक, खान और खनिज	सदस्य;
(iv)	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक कार्य विभाग और भूजल	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;

(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(viii)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	उप निदेशक, नगर नियोजन	सदस्य;
(xi)	जिला वन अधिकारी, कोडाइकनाल	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते है, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रपत्र में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले कोई आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/31/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

तमिलनाडु राज्य में कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

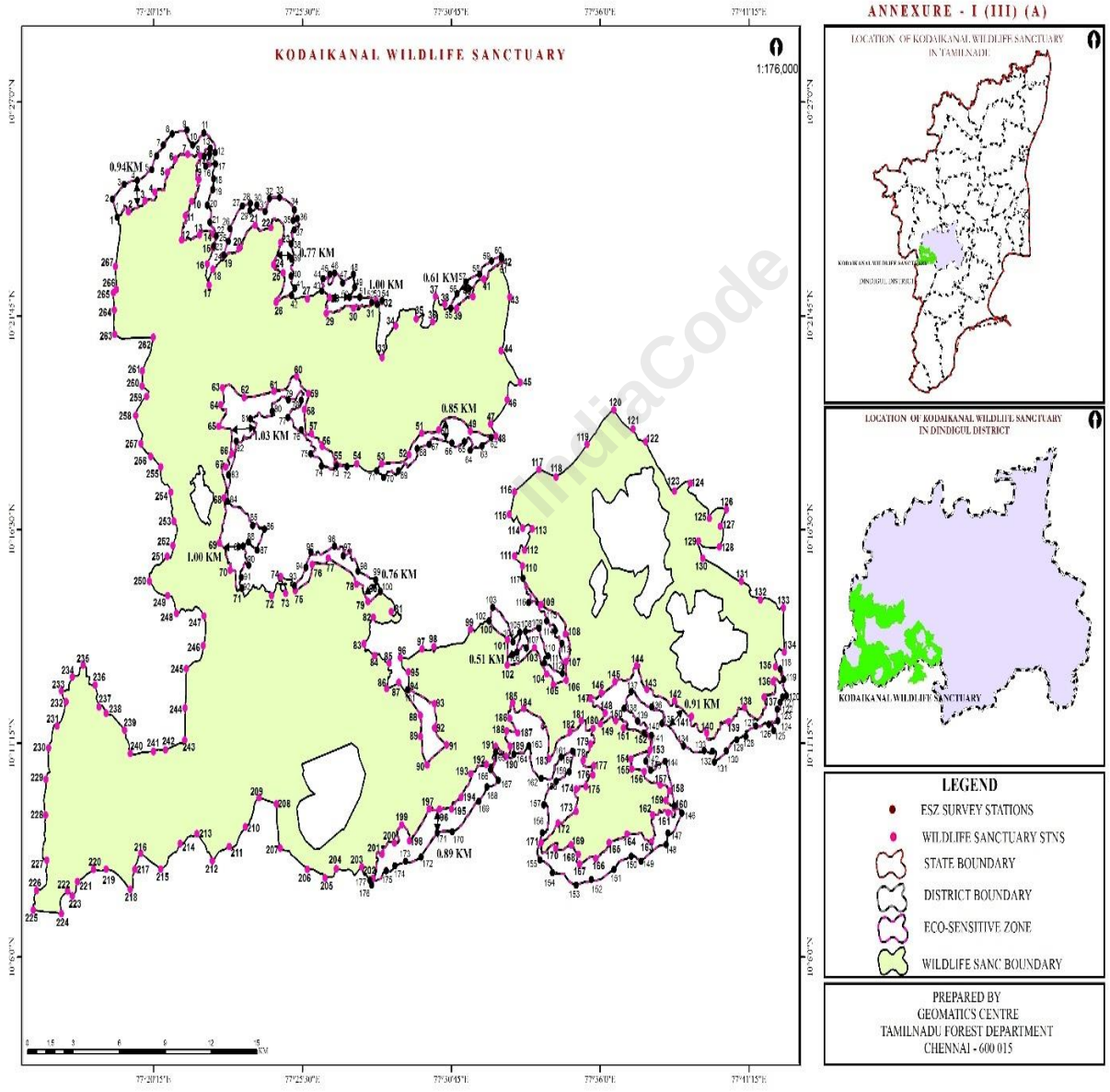
उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा पलानी श्रेणी में उत्तर से उत्तर पूर्व तक मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके आई डी-एफ 14 से एफ 15 मे पलानी–पेरूमलमलाई सड़क से अन्ना जंक्शन (पलानी-पेरूमलमलाई) तक आरंभ होती है। उत्तर में पारिस्थितिकी संवेदी जोन पलानी श्रेणी मे मुख्य स्थानों(अंचूरन मंदई से नागमराथालाई) को पार करके पश्चिम कि ओर उत्तर पूर्व आई डी-जी1 से आईडी-जी3 तक जाती है।
उत्तर पूर्व	अभयारण्य की उत्तर पूर्व सीमा डिंडीगूल जिला में डिंडीगूल वन संभाग की सीमा के आसपास उत्तर पूर्व से पूर्व तक कोण है। परूमपल्लम श्रेणी में सामने पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकी वह खड़ी चट्टान है।
पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा पेरूमलमलाइर अद्दूक्कम सड़क (आई डी-जी13), पलामलाई (आई डी-जी12), कुरूदीकद्दूमलाई (आई डी-जी11), से आरंभ होती है और पेरीयावराई (आई डी-जी11), विस्तृत है और कोडाईकनाल श्रेणी में मुख्य अवस्थान और मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अन्य भाग कृष्ण कोवैल और आई डी-एच 1 में डिंडीगूल-थेनी जिला सीमा के आरंभिक बिंदु से आरंभ होती है और आई डी-एच2 से आई डी-एच 7 के क्रम में जी.पी.एस. निर्देशांक के साथ मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके दक्षिण की ओर जाती है और आखिरकार पेरूमपल्लम और देवथानापट्टी श्रेणी में आई डी-एच8 में बटालागूंदू-पेरीयाकूलम सड़क पहुंचती है।
दक्षिण पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिण पूर्व सीमा आई डी एच 9 से आई डी-एस 18 के क्रम के क्रम में जी.पी.एस निर्देशांको के साथ मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके दक्षिण की ओर आई डी-एच 8 में बटालागूंदू- पेरीयाकूलम सड़क से आरंभ होती है और आखिरकार आई डी-एच 19 में सोथूपराई जलाशय पहुंचती है।
दक्षिण	अभयारण्य की दक्षिण सीमा थेनी जिला में थेनी वन संभाग की सीमा के आसपास दक्षिण कोण से दक्षिण पश्चिम कोण तक आरंभ होती है। देवथानापट्टी, बेरीजम और वंदशवू श्रेणियों में सामने पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।
दक्षिण पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिण पश्चिमी सीमा मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके आई डी-जी 9 (कूलट्टा कनवे फॉल) में 9 (शून्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन) तक कि ओर 10 तक पश्चिमी कि ओर विस्तृत आई डी -11 (गुरूसमे मेडु) से आरंभ होती है। और, पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम तक स्थित अनामलाई बाघ रिज़र्व का कोर क्षेत्र और केरल मध्यवर्ती का अंत:राज्यीय सीमा भी है। अत: वंदराबू, मन्नावनूर और पूमबराई श्रेणियों में सामने पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।
पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पश्चिम सीमा पलानी श्रेणी में मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके उत्तर पश्चिम की ओर आई डी-जी 9 से आई डी-जी4 में कूलाट्टा कनवे फॉल से उलरापूलरन कनावई तक आरंभ होती है। और, पश्चिम कोण से उत्तर पश्चिम कोण तक अनामलाई बाघ रिज़र्व भी स्थित है। पूमबराइर और पलानी श्रेणियों में सामने पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।
उत्तर पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी पश्चिम सीमा आई डी-एफ 1 में अनामलाई बाघ रिज़र्व और कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य सीमा के द्धि-जंक्शन से आरंभ होती है और पलानी श्रेणी में आई डी-एफ 12 से आई डी- एफ 13 में शून्य बिंदु मोट्टाईपराई से पलर-पोरंदलर जलाशय तक

IndiaCode

	और आई डी- एफ 2 11 (वन्नाट्टी ओदई) के क्रम जी.पी.एस निर्देशांको के साथ प्राकृतिक सीमाएं जैसे धाराएं, सड़कें, मार्ग और नाले आदि के साथ मुख्य स्थानों को पार करके उत्तर की ओर जाती है।

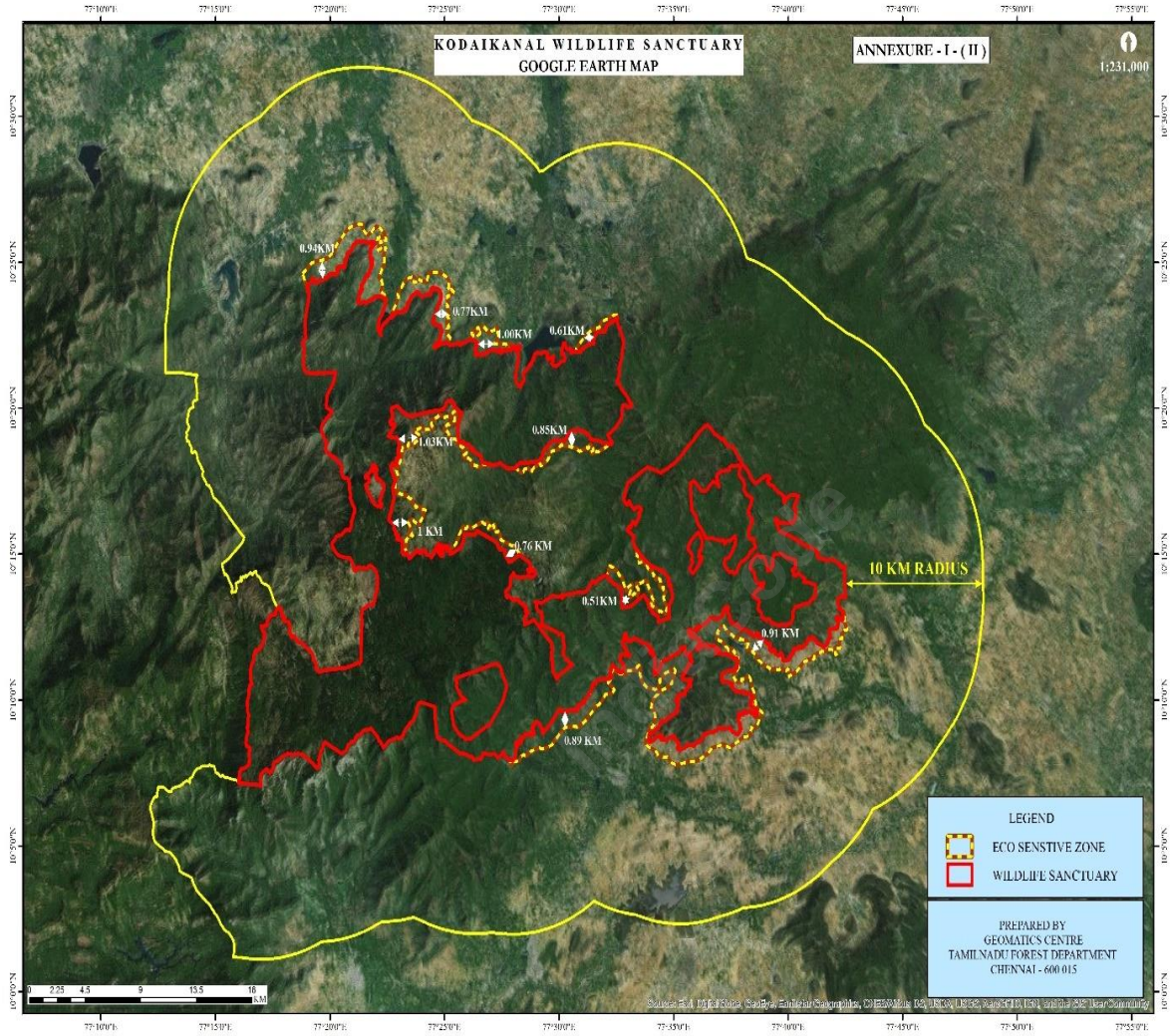
उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र



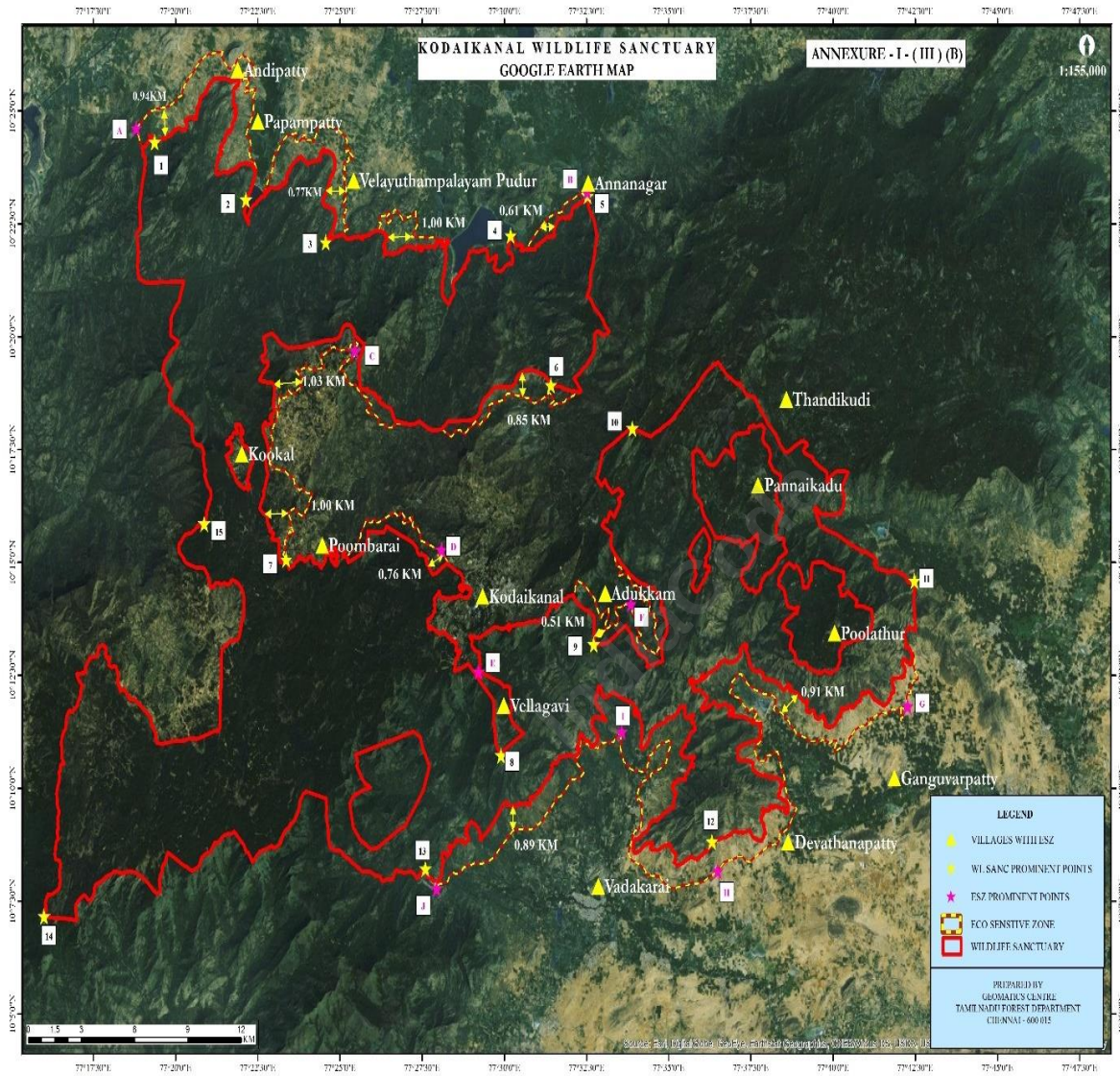
उपाबंध–II ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



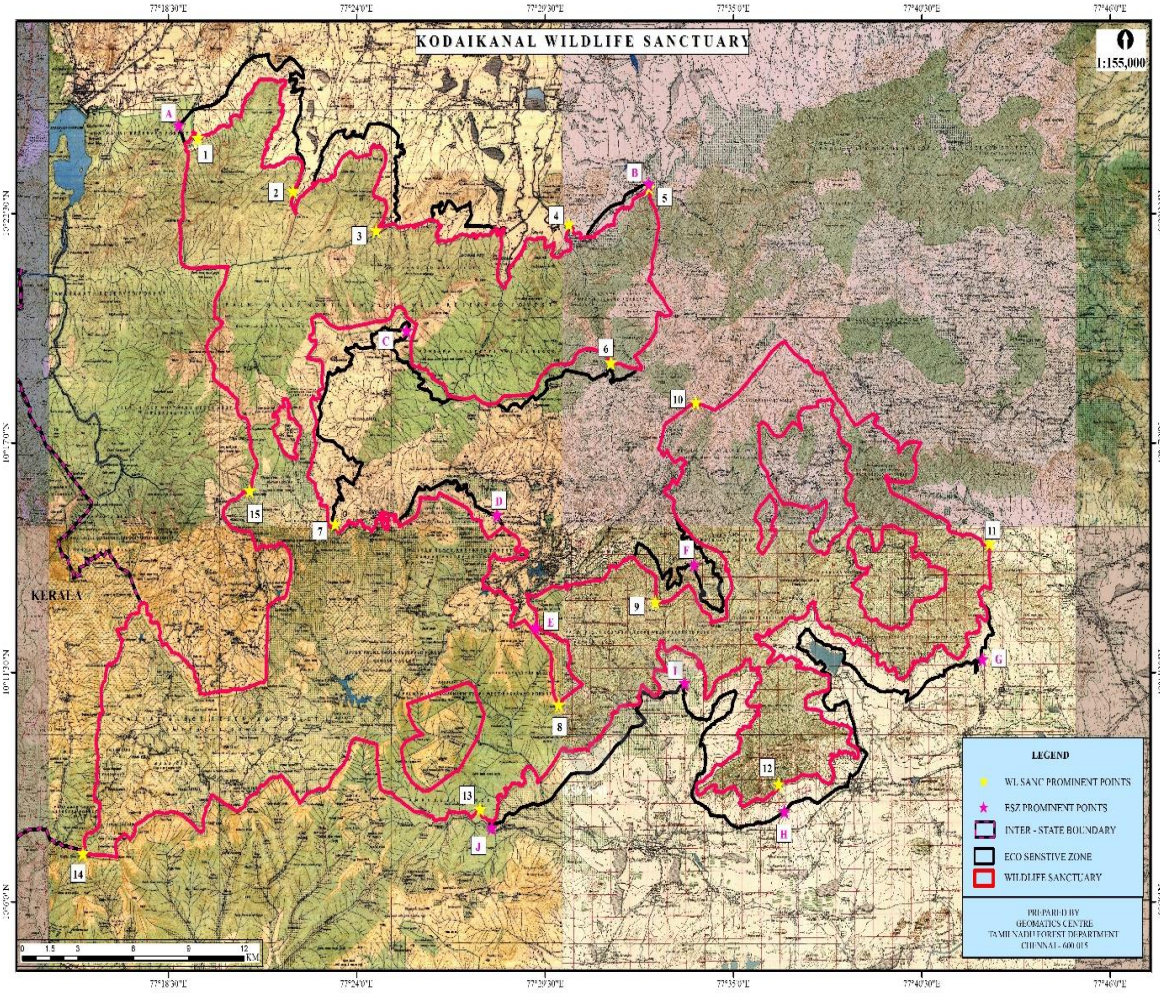
उपाबंध–II ग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ 10 किलो मीटर बफर को दर्शाने वाला कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



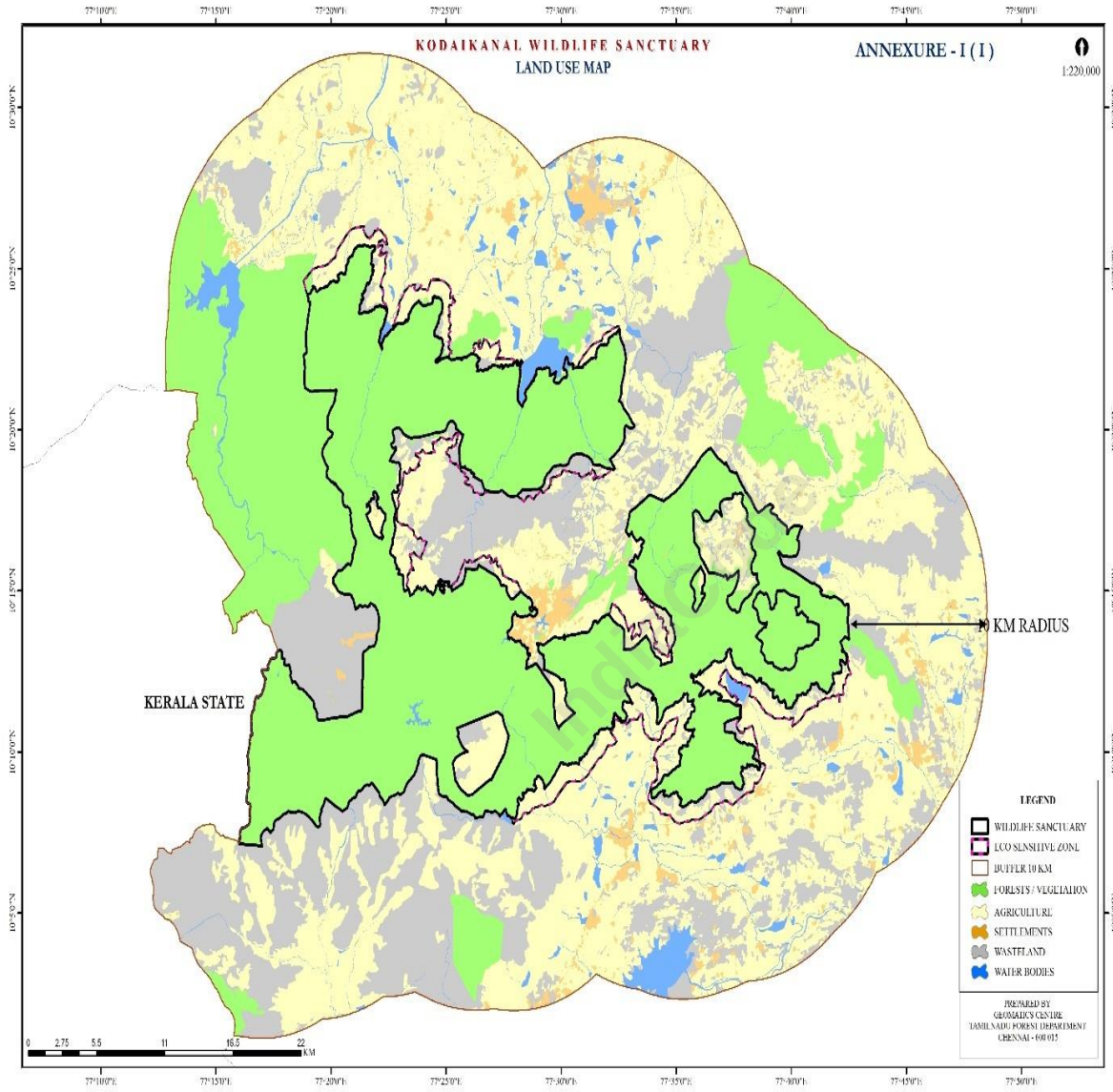
उपाबंध–IIIघ

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



उपाबंध–II ङ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ 10 किलोमीटर बफर और कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध–II च

कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के वन भूमि को दर्शाने वाला मानचित्र

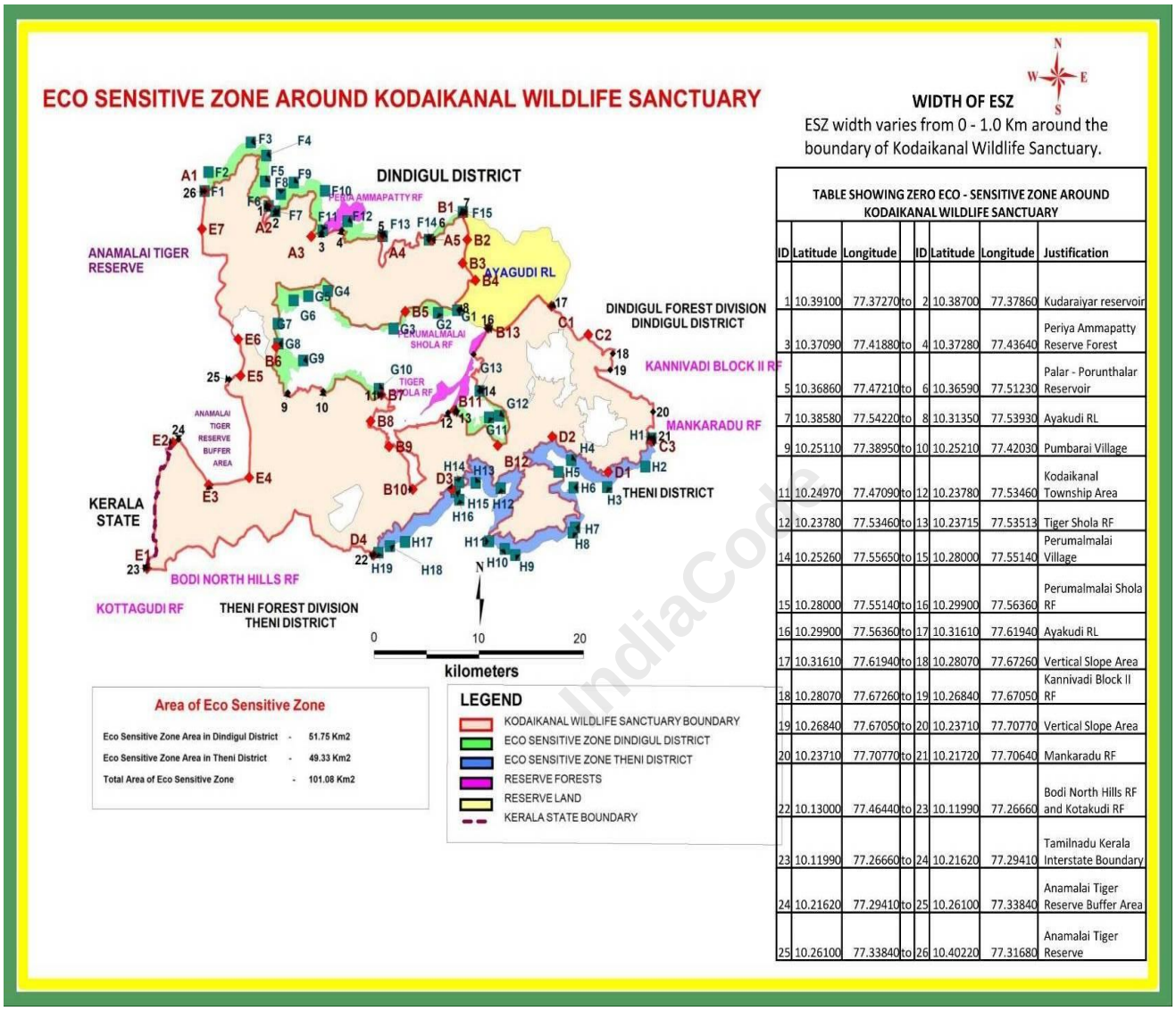


TABLE SHOWING ZERO ECO - SENSITIVE ZONE AROUND KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY

ID	Latitude	Longitude		ID	Latitude	Longitude	Justification
1	10.39100	77.37270	to	2	10.38700	77.37860	Kudaraiyar reservoir
3	10.37090	77.41880	to	4	10.37280	77.43640	Periya Ammapatty Reserve Forest
5	10.36860	77.47210	to	6	10.36590	77.51230	Palar - Porunthalar Reservoir
7	10.38580	77.54220	to	8	10.31350	77.53930	Ayakudi RL
9	10.25110	77.38950	to	10	10.25210	77.42030	Pumbarai Village
11	10.24970	77.47090	to	12	10.23780	77.53460	Kodaikanal Township Area
12	10.23780	77.53460	to	13	10.23715	77.53513	Tiger Shola RF
14	10.25260	77.55650	to	15	10.28000	77.55140	Perumalmalai Village
15	10.28000	77.55140	to	16	10.29900	77.56360	Perumalmalai Shola RF
16	10.29900	77.56360	to	17	10.31610	77.61940	Ayakudi RL
17	10.31610	77.61940	to	18	10.28070	77.67260	Vertical Slope Area
18	10.28070	77.67260	to	19	10.26840	77.67050	Kannivadi Block II RF
19	10.26840	77.67050	to	20	10.23710	77.70770	Vertical Slope Area
20	10.23710	77.70770	to	21	10.21720	77.70640	Mankaradu RF
22	10.13000	77.46440	to	23	10.11990	77.26660	Bodi North Hills RF and Kotakudi RF
23	10.11990	77.26660	to	24	10.21620	77.29410	Tamilnadu Kerala Interstate Boundary
24	10.21620	77.29410	to	25	10.26100	77.33840	Anamalai Tiger Reserve Buffer Area
25	10.26100	77.33840	to	26	10.40220	77.31680	Anamalai Tiger Reserve

उपाबंध-III

सारणी क: कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य सीमा के साथ मुख्य बिंदु			
आई डी	**अवस्थान**	**अक्षांश (उ)**	**देशांतर(पू)**
ए1	एंडिपट्टी के उत्तर पश्चिम कोने	10.40220	77.31670
ए2	कुडरैयार रिजर्वोइयर ज़ीरोपॉइंट	10.39100	77.37260
ए3	पचैयार नदी राजस्व भूमि में प्रवेश करती है	10.36820	77.40970
ए4	पलार पोरंथालार अभयारण्य शून्य बिंदु	10.36830	77.47190
ए5	पलानी - पेरुमलमालई रोड	10.36570	77.51470

बी1	पीवी घाटी के उत्तर पूर्व कोने	10.38530	77.54230
बी2	सवारीकदु	10.36580	77.54590
बी3	अट्टुकल्लुमलाई	10.34830	77.54180
बी4	पल्लांगिमलाई	10.33540	77.55310
बी5	वइकुंदामलाई	10.31200	77.49190
बी6	कुकल – पजम्पुथुर रोड	10.28540	77.37920
बी7	पिग घाटी	10.24970	77.47100
बी8	कोदाई - ओथू के पास पूमबारई रोड	10.23000	77.46150
बी9	सुसाइड बिदु	10.21100	77.47770
बी10	कोदीमुदी	10.17890	77.49840
बी11	पेरिया वारइ	10.23790	77.53460
बी12	संनियासिमलाई	10.21170	77.57230
बी13	पेरूमल्मालाई शिखर	10.29970	77.56410
सी1	अरूनकनलमलाई	10.31610	77.61930
सी2	पंनाइकदु – थंदीकुदी रोड	10.29490	77.65130
सी3	दींदीगुल – थेनि जिला जंक्शन	10.21480	77.70650
डी1	कामकापट्टी के पास घाट रोड	10.19200	77.66860
डी2	मंजूल नदी के राजस्व भूमि में प्रवेश	10.21840	77.61990
डी3	पेरियकुलाम- कुम्बकरी रोड	10.17890	77.53240
डी4	सोथुपराई डैम	10.12960	77.46400
ई1	पम्बदीसोलाईमलाई	10.11930	77.26660
ई2	किलावराई –कदवाराई पथ	10.21370	77.28920
ई3	उरूम्बंकनावाई	10.18200	77.32030
ई4	थुप्पीअंकनावाई	10.18750	77.35570
ई5	वेल्लारीमलाई	10.26380	77.34810
ई6	पप्पलाम्मंमलाई	10.29130	77.34600
ई7	दल्लाइकुंदु पराई	10.37380	77.31460

IndiaCode

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

आई डी	अवस्थान	अक्षांश	देशांतर
एफ1	अनामलाई टीआर और कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य का द्वीय-जंक्शन	10.40220	77.31670
एफ2	नवल ओडाई (डीजीएल-तिरुपुर जिला सीमा)	10.41640	77.32020
एफ3	पेरांदइकरादु	10.43860	77.35720
एफ4	कोट्टांकरादु	10.42880	77.37060
एफ5	गजाट्टु ओदाई	10.40950	77.36960
एफ6	कुदीराइयार जलाशय शून्य बिंदु (पश्चिमी)	10.39100	77.37260
एफ7	कुदीराइयार जलाशय शून्य बिंदु (पश्चिमी)	10.38690	77.37870
एफ8	कुदीराइयार जलाशय रोड	10.39990	77.38330
एफ9	चिन्नाकरादु हिल्लोक	10.40860	77.39440
एफ10	पचीयार नदी	10.40250	77.42180
एफ11	वन्नाट्टीओदाई	10.37280	77.41990
एफ12	मोट्टाइपराई	10.37960	77.44130
एफ13	पलार – पोरंदालार जलाशय – शून्य बिंदु	10.36850	77.47210
एफ14	पलानि- पेरूमल्मलाई रोड	10.36580	77.51230
एफ15	अन्नानगर जंक्शन (पलानी -पेरूमल्मलाई)	10.38670	77.54210
जी1	अंचुरामंदाई	10.31300	77.53710
जी2	गेंगुवाराओदाई	10.31110	77.52030
जी3	नगमरातालाई	10.29910	77.48160
जी4	उलरापुलरांकनावाई	10.32740	77.42420
जी5	अट्टइवयाल	10.32350	77.40730
जी6	वदुगमन्नादी वराई	10.32040	77.39450
जी7	कुंदुपट्टी मेटल रोड	10.30280	77.38050
जी8	कुकल –पजाम्पुथुर रोड	10.28800	77.38120
जी9	कुलाट्टाकनावया फाल्स	10.27520	77.40280
जी10	गुरूसवामिमेट्टु	10.25400	77.46860
जी11	कुरूदीकदुमलाइ	10.23280	77.56470
जी12	पलामलाइ	10.23400	77.57380
जी13	पेरूमल्मलाई- अदुक्कम रोड	10.25260	77.55650
एच1	किन्नां कोइल का आरंभिक बिंदु इसके बाद	10.21720	77.70630
एच2	मंथुराई ओदाई	10.19600	77.70110

IndiaCode

एच3	वन चेकपोस्टकमकपट्टी (केकेएल-घाट रोड)	10.18060	77.66770
एच4	मंजालार शून्य बिंदु- उत्तरी भाग	10.20070	77.63630
एच5	रसिमालाई नगर	10.19190	77.62520
एच6	देवदनपट्टी – मनजलार रोड	10.18030	77.63840
एच7	सिफोन नदी के निकट देवदनापट्टी	10.15030	77.63980
एच8	बतलागुंदु –पेरियकुलम रोड	10.14650	77.63770
एच9	बागवानी कॉलेज का प्रवेश द्वार	10.12970	77.58760
एच10	इंदपुली–मुरूगमलाई मेटल रोड	10.13430	77.57840
एच11	मुरूगमलाई मुख्य सड़क	10.13990	77.56480
एच12	पुलीओदाई	10.17970	77.57500
एच13	पुलीकुट्टर नदी	10.18380	77.55310
एच14	कुम्बकराई – अदुक्कम रोड	10.18410	77.53870
एच15	कुम्बकरी–पेरियाकुलम नदी	10.17700	77.53560
एच16	पम्बर नदी	10.17100	77.53890
एच17	वरहानदी	10.13950	77.49150
एच18	पेरियार नदी	10.13610	77.47820
एच19	सोतपराई जलाशय	10.13140	77.46830

सारणी ग: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के शून्य विस्तार में कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू- निर्देशांक

आईडी	अक्षांश	देशांतर		आई डी	अक्षांश	देशांतर	कारण
1	10.39100	77.37270	से	2	10.38700	77.37860	कुदरइयार जलाशय
3	10.37090	77.41880	से	4	10.37280	77.43640	पेरिया अम्मापट्टीय राजस्व वन
5	10.36860	77.47210	से	6	10.36590	77.51230	पलार – पोरूंथलार जलाशय
7	10.38580	77.54220	से	8	10.31350	77.53930	अयाकुदी आरएल
9	10.25110	77.38950	से	10	10.25210	77.42030	पौम्बरइ ग्राम
11	10.24970	77.47090	से	12	10.23780	77.53460	कोदइकनाल टाउनशिप क्षेत्र
12	10.23780	77.53460	से	13	10.23715	77.53513	बाघ शोला आर एफ
14	10.25260	77.55650	से	15	10.28000	77.55140	पेरूमल्मलाइ ग्राम
15	10.28000	77.55140	से	16	10.29900	77.56360	पेरूमल्मलाइर शोला आरएफ
16	10.29900	77.56360	से	17	10.31610	77.61940	अयाकुदी आरएल
17	10.31610	77.61940	से	18	10.28070	77.67260	वेरटीका स्लोप क्षेत्र

IndiaCode

18	10.28070	77.67260	से	19	10.26840	77.67050	कन्नीवदी ब्लाक II आरएफ
19	10.26840	77.67050	से	20	10.23710	77.70770	वेरटिकल स्लोप क्षेत्र
20	10.23710	77.70770	से	21	10.21720	77.70640	मन्करादु आरएफ
22	10.13000	77.46440	से	23	10.11990	77.26660	बोदी उत्तर नदी आरएफ और कोटकुदी आरएफ
23	10.11990	77.26660	से	24	10.21620	77.29410	तमिलनाडु केरल अंतर्राज्यीय सीमा
24	10.21620	77.29410	से	25	10.26100	77.33840	अनामालाई बाघ रिजर्व बफर क्षेत्र
25	10.26100	77.33840	से	26	10.40220	77.31680	अनामलाइ बाघ राजस्व

उपाबंध -IV

भू-निर्देशांकों के साथ कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	प्रभाग	ग्राम का नाम	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	कोडाईकनाल	अंदीपट्टीय	10°26' 13.2"	77°22' 42.96"
2		वेलयउदम्पलायम्पुदुर	10° 15' 44.78"	77° 15' 11.88"
3		पप्पाम्पट्टीय	10° 15' 44.12"	77° 14' 33.39"
4		कवलपट्टीय	10° 15' 43.63"	77° 15' 14.99"
5		अंन्नानगर	10°23' 9.97"	77° 32' 28.12"
6		अदुक्कम	10° 14' 16.98"	77° 33' 08.21"
7		कोडाईकनाल	10° 14' 16.07"	77° 29' 20.85"
8		कौकल	10° 17' 09.23"	77°21' 48.04"
9		पौम्पराई	10° 15' 23.10"	77°24' 28.13"
10		थंदीकुदी	10° 18' 35.32"	77° 38' 35.11"
11		पन्नाइकदु	10° 16' 43.47"	77° 37' 42.81"
12		पौलथुर	10° 13' 27.03"	77° 39' 56.51"
13		वेल्लागवी – पेरियार	10° 9' 26.54"	77°26' 26.95"
		वेल्लागवि -चिन्नुर	10° 11' 50.49"	77° 29' 59.70"
14		देवथनापट्टी	10° 08' 47.86"	77° 38' 36.90"
15		गंगुवरपट्टी	10° 10' 14.58"	77° 41' 52.86"
16		वदाकराई	10° 08' 53.50"	77° 31' 02.62"

IndiaCode

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2020

S.O. 412(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 5834 (E) dated the 22nd November, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 26nd November, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Kodaikanal Wildlife Sanctuary is spread over an area of 608.95 square kilometres and located in Kodaikanal and Palani Taluks of Dindigul District and Periyakulam Taluk of Theni District in the State of Tamil Nadu;

AND WHEREAS, Kodaikanal Forest Division was formed after bifurcating erstwhile Madurai North Division with headquarters at Kodaikanal with effect from 19th April, 1982 as per G.O.Ms. No.468 and as ordered in G.O.Ms. No. 261 dated 21st March, 1977. On bifurcation of Madurai Revenue District into Madurai and Dindigul districts as per G.O. Ms. No. 640 Revenue dated 22nd April, 1985, the forest areas under the control of Theni Forest Division were transferred to Kodaikanal Forest division and the division forms contiguous and compact block, lying in Kodaikanal Taluk and part of Palani Taluk in Dindigul district and part of Periyakulam Taluk of Theni district and the Kodaikanal Forest Division have been declared as Kodaikanal Wildlife Sanctuary in G.O. No.143 Environment and Forest (FR-5) dated: 20th September, 2013;

AND WHEREAS, forests of Kodaikanal Forest Division falling between $77^0$16' and 77^0 45' of East longitude and 10^0 20' and $10^0$5' of North latitude, is surrounded by Kerala State in the West, Coimbatore Revenue district in the North-West, Dindigul Forest Division on the

North-East, Madurai Revenue district in the South – East and Theni Forest Division on the South;

AND WHEREAS, Kodaikanal Wildlife Sanctuary is an important and unique habitat for varied flora and fauna which provide an ecologically sustainable habitat for about 44 species of mammals including endangered species like tiger, elephant, nilgiri tahr etc. It supports more than 150 species of birds, 40 species of reptiles, 8 species of amphibians, 202 species of butterflies and wide variety of ecosystems such as grasslands, fresh water ecosystem, marsh ecosystem, dry deciduous forest, tropical evergreen forest and shola forests and it is necessary to conserve the physical and biological diversity around the protected area of Kodaikanal Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the Sanctuary's floral diversity is extraordinary. The biota of the region is highly diverse with over 2478 species of flowering plant in 201 families of which 1758 are indigenous species, 161 species are naturalized in the area, 344 are cultivated species and 215 are garden species and examples of the floras are Pachai savukku (*Acacia decurrens*), Sokkala (*Aglaia elaeagnoidea*), Asiatic pennywort (*Centella asiatica*), Arabian jasmine (*Jasminum sambac*), etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary has variety of birds, butterflies, insects, reptiles, amphibians and mammals and the examples of mammals are Tiger (*Panthera tigris*), Indian gaur (*Bos gaurus*), Elephant (*Elephas mazimus*), Wildboar (*Sus scrofa*), common Langur (*Semnopithecus*) etc. and the examples of birds are Red-whiskered bulbul (*Phycnonotus jocous*), common Kingfisher (*Alcedo atthis*), Bebra Sparrow-hawk (*Virgatus besra*) etc. while amphibians of the Sanctuary are common Asian Toad *(Bufo melanostictus),* Indian Skipper Frog *(Euphlyatis cyanophlyetis),* etc;

AND WHEREAS, the Kodaikanal Wildlife Sanctuary has 32 species of rare, endangered and threatened species and 49 endemic species which includes birds (29 species), butterfly (12 species), amphibians (8 species) and some endemic floral species which has become endangered and endemic to shola forest of this Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Kodaikanal Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.0 (zero) kilometre to 1.0 kilometre around the boundary of Kodaikanal Wildlife Sanctuary, in Dindigul and Theni districts in the State of Tamil Nadu as the Eco-Sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone. –** (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of 0.0 (zero) to 1.0 kilometre around the boundary of Kodaikanal Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is 106.78 square kilometres. *(Zero extent of Eco-Sensitive Zone is due to inter-State border with Kerala and presence of a township).*

 2. The boundary description of Kodaikanal Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

 3. The maps of the Eco-Sensitive Zone of Kodaikanal Wildlife Sanctuary along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID, Annexure-IIE** and **Annexure-IIF.**

4. List of geo-coordinates of the boundary of Eco-Sensitive Zone of Kodaikanal Wildlife Sanctuary and prominent locations of zero extent of Eco-Sensitive Zone are given in Table **A,** Table **B** and Table **C** of **Annexure-III.**

5. The list of villages falling in the proposed Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

IndiaCode

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) The said Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for security of local community development.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) adove, within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs or rivers shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

a) the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;

b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E-waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel like CNG, LPG etc.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-Sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.

ImageCode

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	companies.	
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated as per the applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per the applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

IndiaCode

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector	Chairman, ex officio
(ii)	District Forest Officer, Dindigul Division	Member;
(iii)	Assistant Director, Mines and Minerals	Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Work Department and Ground Water	Member;
(v)	A representative of Non-government Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
(vi)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vii)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(viii)	A representative from State Public Works Department	Member;
(ix)	A representative from State Pollution Control Board	Member;
(x)	Deputy Director, Town Planning	Member;
(xi)	District Forest Officer, Kodaikanal	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/31/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

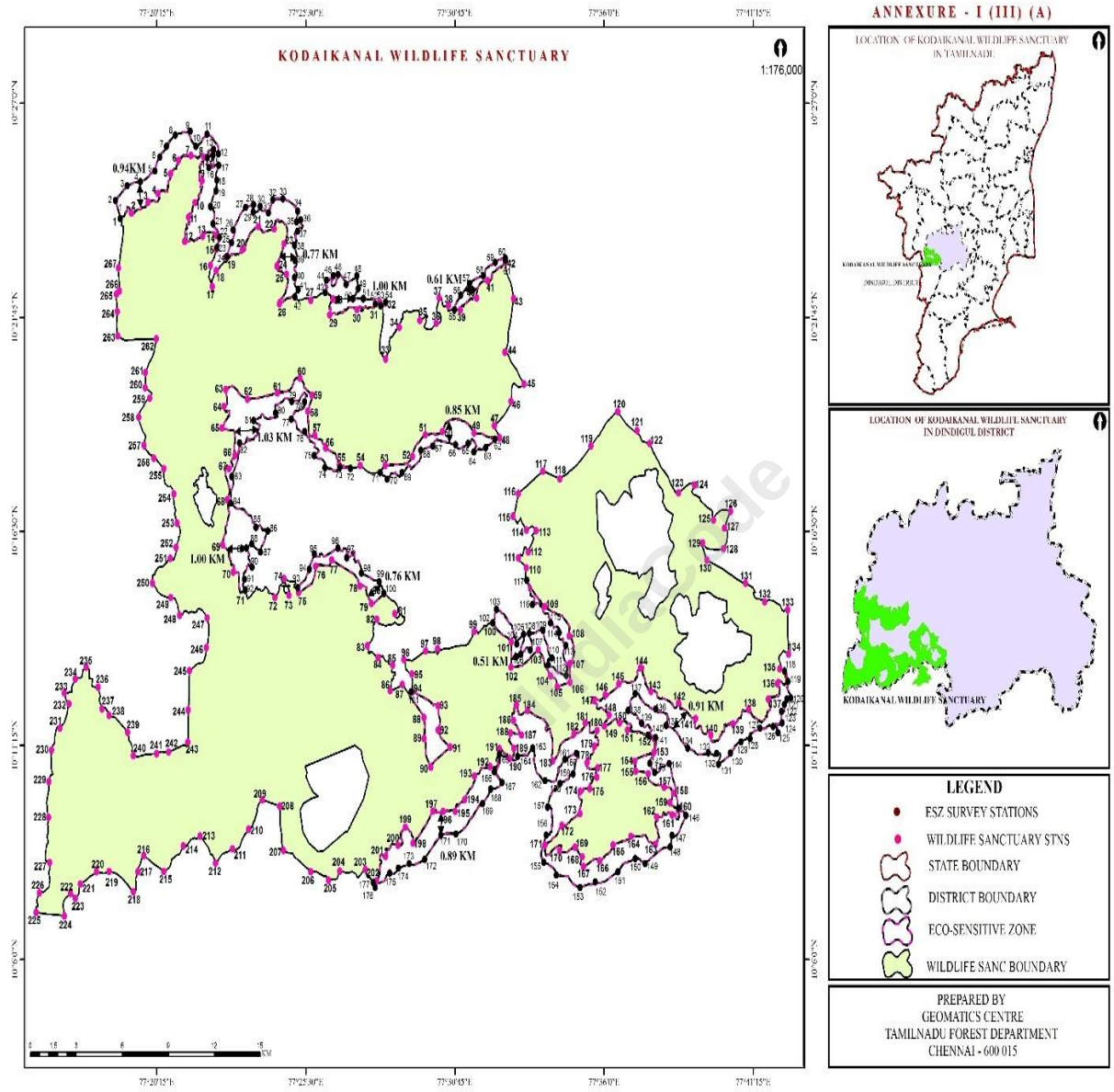
BOUNDARY DESCRIPTION OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE TAMIL NADU

North	The Northern boundary of the Eco-Sensitive Zone commences from the Palani – Perumalmalai Road to Anna Junction (Palani – Perumalmalai) at Id – F14 to F15 runs crossing the prominent places as mentioned in the map from North to North East in Palani Range. In North Eco sensitive Zone runs from in North East Id-G1 to id-G3 runs towards west crossing from the prominent places. (Anchuran mandai to Nagamarathalai) in Palani Range.

North East	The North East boundary of the Sanctuary from North east to East corner is surrounded by the Boundary of Dindigul Forest Division in Dindigul District. No proposal is being made for the Eco-Sensitive Zone on that front in Perumpallam Range. Because they are cliffs.
East	The eastern boundary of the Eco-Sensitive Zone commences from the Perumalmalai Addukkam Road (Id-G13), Palamalai (Id-G12), Kurudikadumalai (Id-G11) and extend to Periyavarai (Id-B11) and runs towards South East crossing the prominent places as mentioned in the map and key location in Kodaikanal Range. And the other part of Eco sensitive zone commences from the Krishnan kovail and staring point of Dindingul – Theni Districts boundary at id – H1 and runs towars south east crossing the prominent places as mentioned in the map with Global Positioning System (GPS) readings in order of Id – H2 to Id – H7 and finally reach Batalagundu – Periyakulam Road at Id - H8 in Perumpallam and Devathanapatty Ranges.
South East	The South east boundary of the Eco-Sensitive Zone commences from the Batalagundu – Periyakulam Road at Id - H8 towards south crossing the prominent places as mentioned in the map with Global Positioning System (GPS) readings in order of Id – H9 to Id – H18 and finally reach the Sothuparai Reservoir at Id – H19.
South	The South boundary of the sanctuary from South corner to South West corner is surrounded by the Boundary of Theni Forest Division in Theni District. No proposal is being made for the Eco-Sensitive Zone on that front in Devathanapatty, Berijam and Vandaravu Ranges.
South West	The South West boundary of the Eco-Sensitive Zone commences from the id-11(Gurusamy medu) extend towards west up to 10 (Zero Eco-Sensitive Zone) and from 9 (Zero Eco-Sensitive Zone) runs towards at id- G9 (Kulatta kanavay Falls) crossing the prominent places as mentioned in the map. And, also interstate boundary of Kerala Buffer and core area of Anamalai Tiger Reserve located from Northwest towards west. Therefore, no proposal is being made for the Eco-Sensitive Zone on that front in Vandaravu, Mannavanur and Poombarai Ranges.
West	The West boundary of the Eco Sensitive Zone commences from the Kulatta kanavay Falls to Ulrapulran Kanavai at id – G9 to id- G4 towards Northwest crossing the prominent places as mentioned in the map in Palani Range. And, also Anamalai Tiger Reserve located from West corner to Northwest corner. No proposal is being made for the Eco-Sensitive Zone on that front in Poombarai and Palani Ranges.
North West	The northern west boundary of the Eco-Sensitive Zone commences from the Bi-junction of Anamalai Tiger Reserve and Kodaikanal Wildlife Sanctuary boundary at Id – F1 and runs towards north crossing the prominent places along the natural boundaries such as Streams, roads, path way and nullahsetc with Global Positioning System (GPS) reading in order of id's viz F2 (Naval Odai DGL – Thiruppur District Boundary) to F11 (Vannatti odai).And also from Mottaiparai to Palar-Porandalar Reservoir-zero point at id-F12 to id-F13 in Palani Range.

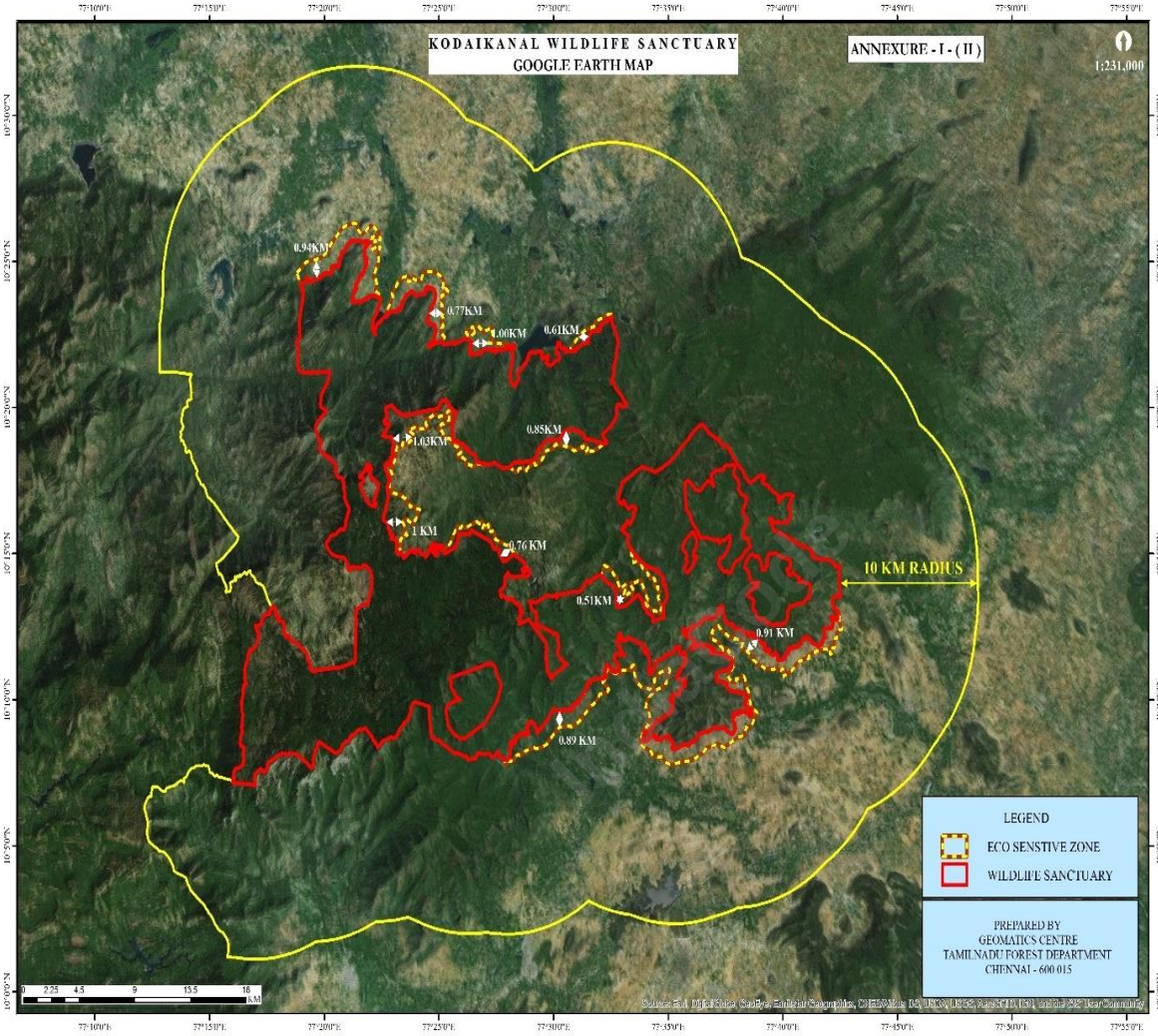
ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



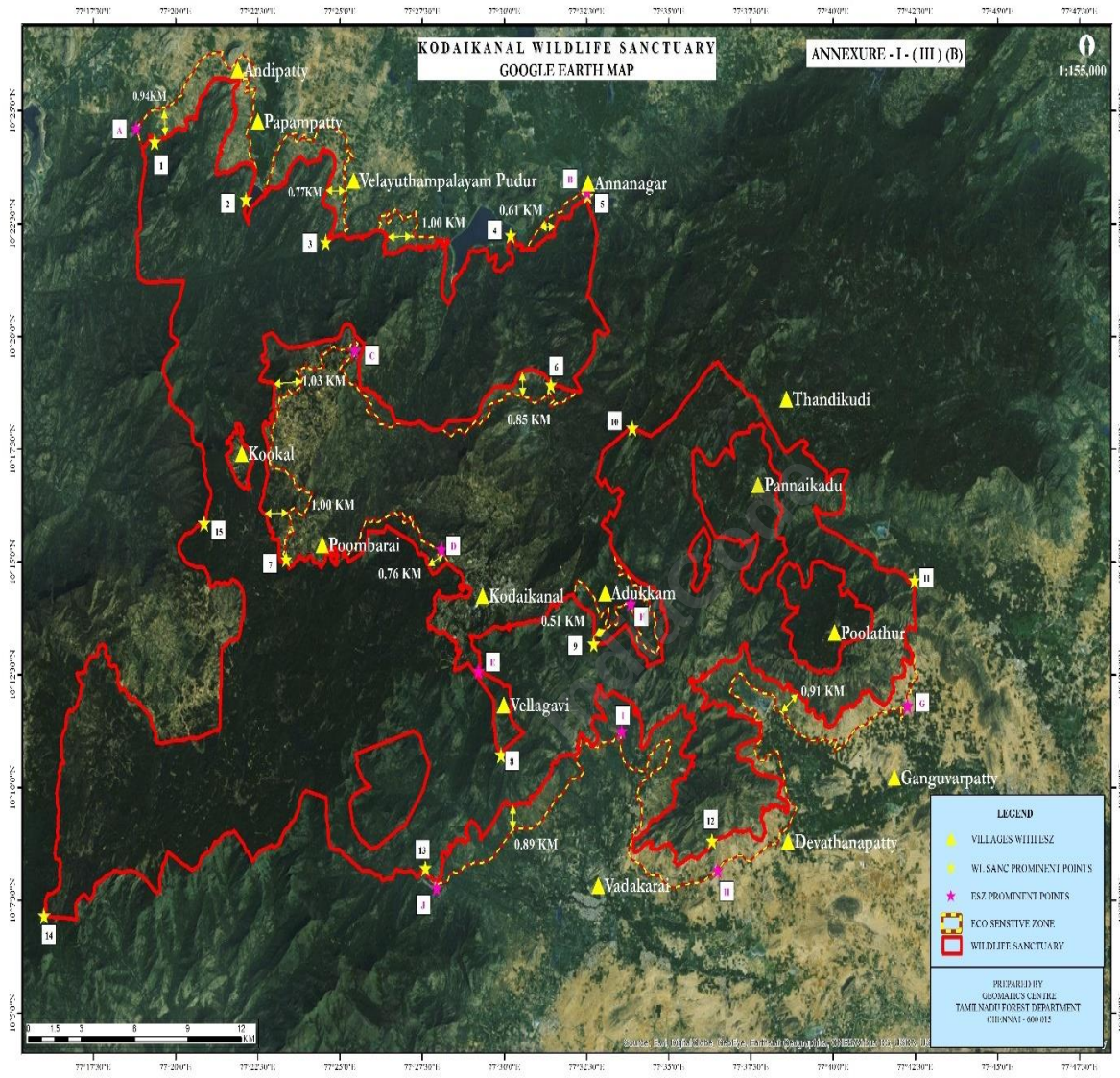
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



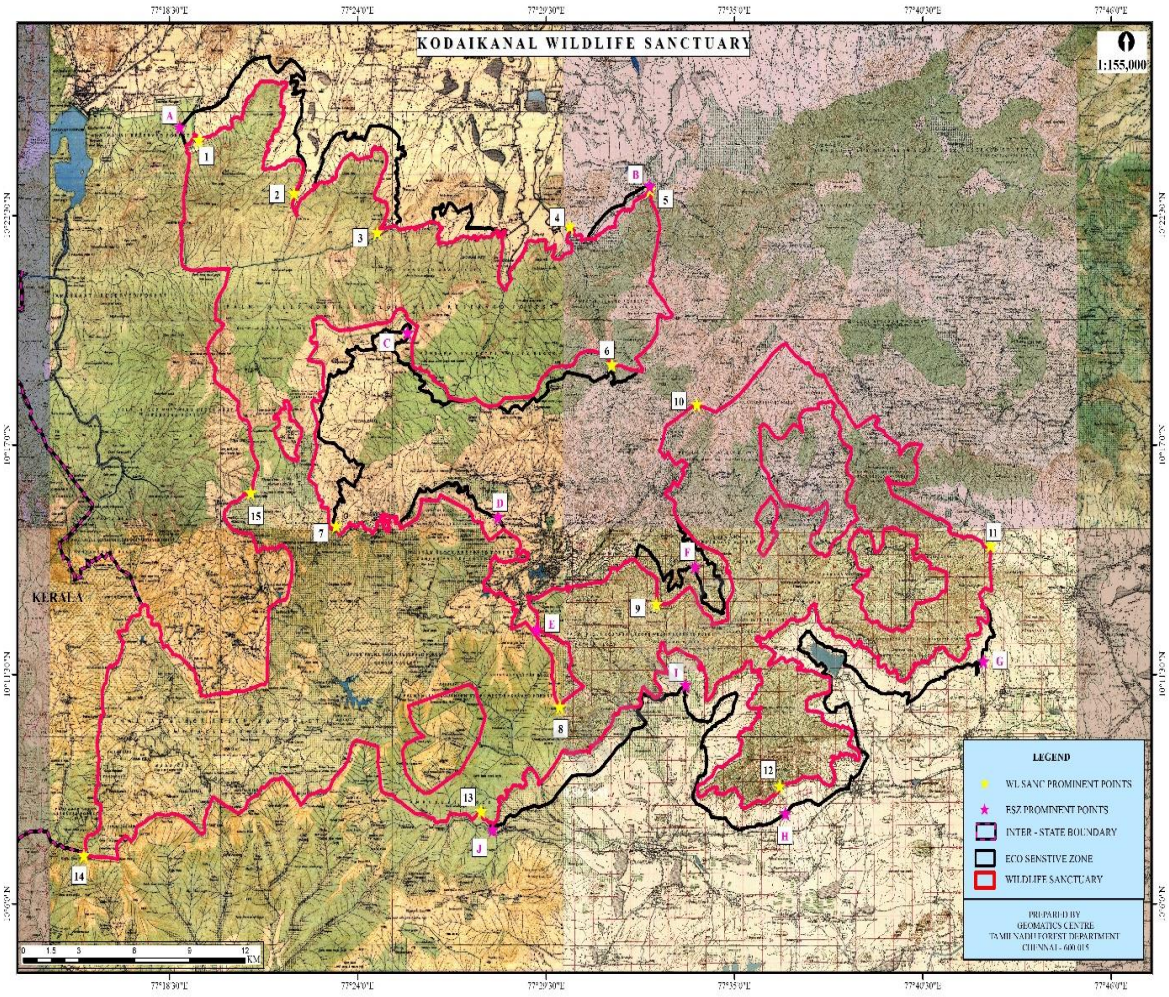
ANNEXURE- IIC

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY SHOWING 10 KM BUFFER ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



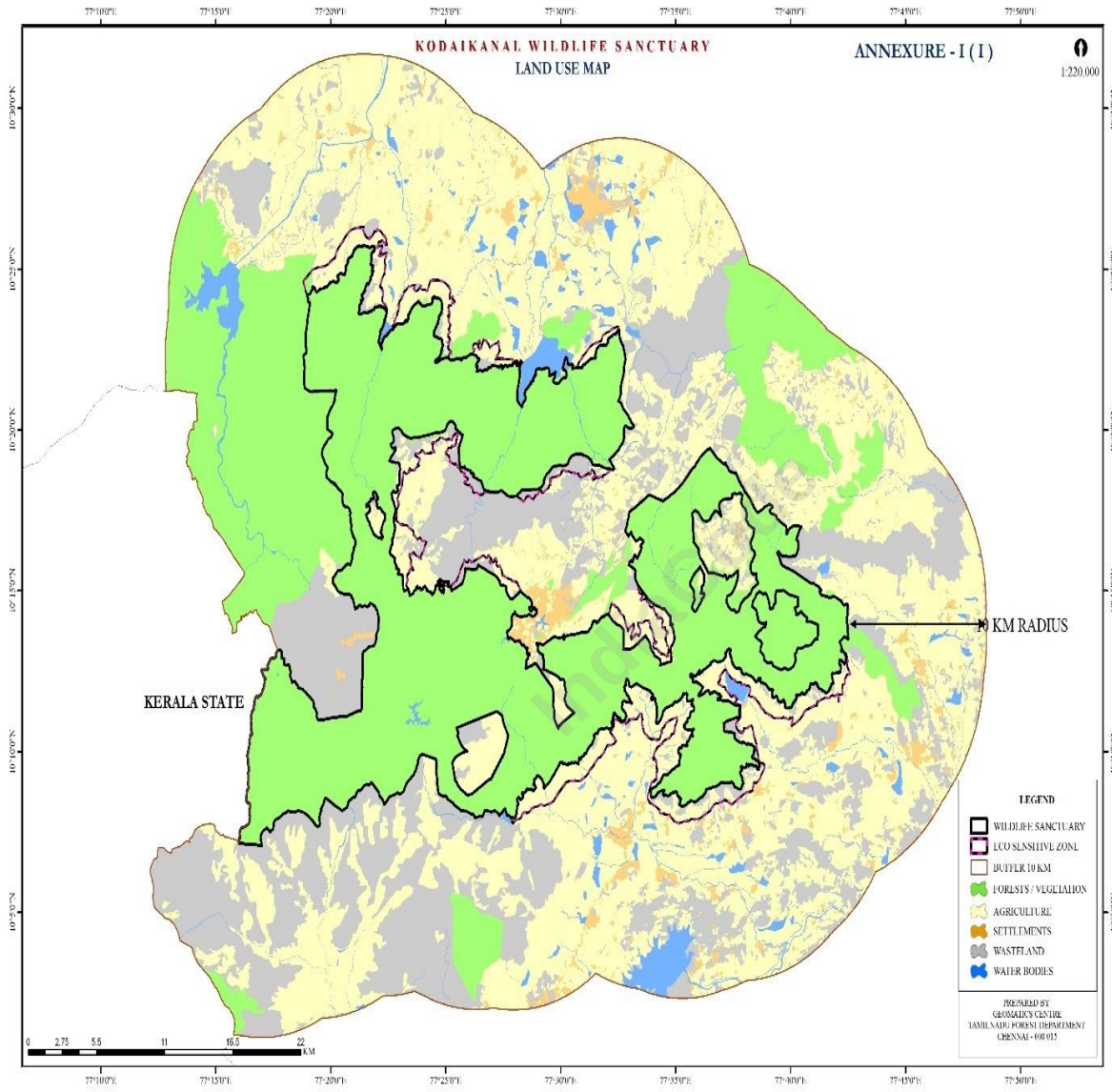
ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE- IIE

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY AND 10 KM BUFFER ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIF

MAP SHOWING FOREST LAND OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY

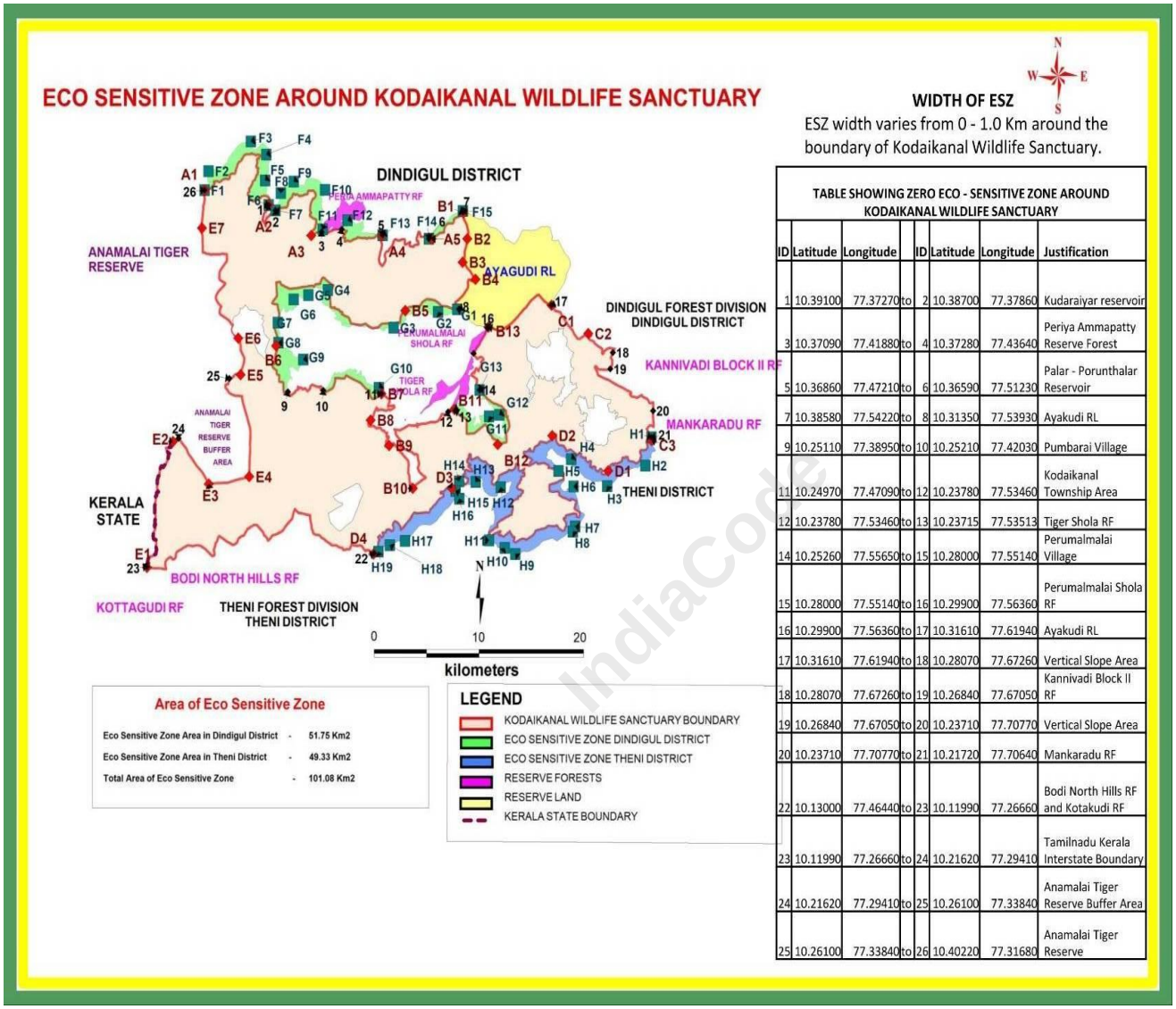


TABLE SHOWING ZERO ECO - SENSITIVE ZONE AROUND KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY

ID	Latitude	Longitude		ID	Latitude	Longitude	Justification
1	10.39100	77.37270	to	2	10.38700	77.37860	Kudaraiyar reservoir
3	10.37090	77.41880	to	4	10.37280	77.43640	Periya Ammapatty Reserve Forest
5	10.36860	77.47210	to	6	10.36590	77.51230	Palar - Porunthalar Reservoir
7	10.38580	77.54220	to	8	10.31350	77.53930	Ayakudi RL
9	10.25110	77.38950	to	10	10.25210	77.42030	Pumbarai Village
11	10.24970	77.47090	to	12	10.23780	77.53460	Kodaikanal Township Area
12	10.23780	77.53460	to	13	10.23715	77.53513	Tiger Shola RF
14	10.25260	77.55650	to	15	10.28000	77.55140	Perumalmalai Village
15	10.28000	77.55140	to	16	10.29900	77.56360	Perumalmalai Shola RF
16	10.29900	77.56360	to	17	10.31610	77.61940	Ayakudi RL
17	10.31610	77.61940	to	18	10.28070	77.67260	Vertical Slope Area
18	10.28070	77.67260	to	19	10.26840	77.67050	Kannivadi Block II RF
19	10.26840	77.67050	to	20	10.23710	77.70770	Vertical Slope Area
20	10.23710	77.70770	to	21	10.21720	77.70640	Mankaradu RF
22	10.13000	77.46440	to	23	10.11990	77.26660	Bodi North Hills RF and Kotakudi RF
23	10.11990	77.26660	to	24	10.21620	77.29410	Tamilnadu Kerala Interstate Boundary
24	10.21620	77.29410	to	25	10.26100	77.33840	Anamalai Tiger Reserve Buffer Area
25	10.26100	77.33840	to	26	10.40220	77.31680	Anamalai Tiger Reserve

IndiaCode

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY

Key Points along Kodaikanal Wildlife Sanctuary Boundary			
ID	**Location**	**Latitude (N)**	**Longitude (E)**
A1	North West corner of Andipatti	10.40220	77.31670
A2	Kudaraiyar Reservoir ZeroPoint	10.39100	77.37260
A3	Pachaiyar River enters Revenue land	10.36820	77.40970
A4	PalarPoranthalar Reservoir Zero point	10.36830	77.47190
A5	Palani - PerumalMalai Road	10.36570	77.51470
B1	North East Corner of PV Valley	10.38530	77.54230
B2	Savarikadu	10.36580	77.54590
B3	AttukalluMalai	10.34830	77.54180
B4	PallangiMalai	10.33540	77.55310
B5	VaikundaMalai	10.31200	77.49190
B6	Kukal - Pazhmputhur Road	10.28540	77.37920
B7	Pig Valley	10.24970	77.47100
B8	Kodai - Poomparai Road Near Oothu	10.23000	77.46150
B9	Suicide Point	10.21100	77.47770
B10	KodiMudi	10.17890	77.49840
B11	PeriyaVarai	10.23790	77.53460
B12	SanniyasiMalai	10.21170	77.57230
B13	PerumalMalai Peak	10.29970	77.56410
C1	ArunkanalMalai	10.31610	77.61930
C2	Pannaikadu - Thandikudi Road	10.29490	77.65130
C3	Dindigul - Theni District Junction	10.21480	77.70650
D1	Ghat Road Near Kamakkapatti	10.19200	77.66860
D2	Manjalar River enters in Revenue land	10.21840	77.61990
D3	Periyakulam - Kumbakarai Road	10.17890	77.53240
D4	Sothuparai Dam	10.12960	77.46400
E1	PambadiSolaiMalai	10.11930	77.26660
E2	Kilavarai - Kadavarai Path	10.21370	77.28920
E3	UrumbanKanavai	10.18200	77.32030
E4	ThuppianKanavai	10.18750	77.35570
E5	VellariMalai	10.26380	77.34810
E6	PappalammanMalai	10.29130	77.34600
E7	EllaiKunduParai	10.37380	77.31460

IndiaCode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

ID	Location	Latitude (N)	Longitude (E)
F1	Bi-junction of Anamalai TR and KKL WLS	10.40220	77.31670
F2	Naval Odai (DGL - Tirupur District Boundary)	10.41640	77.32020
F3	PerandaiKaradu	10.43860	77.35720
F4	KottanKaradu	10.42880	77.37060
F5	GajattuOdai	10.40950	77.36960
F6	Kudiraiyar Reservoir Zero Point (Western)	10.39100	77.37260
F7	Kudiraiyar Reservoir Zero Point (Eastern)	10.38690	77.37870
F8	Kudiraiyar Reservoir Road	10.39990	77.38330
F9	ChinnaKaradu Hillock	10.40860	77.39440
F10	Pachaiyar River	10.40250	77.42180
F11	VannattiOdai	10.37280	77.41990
F12	MottaiParai	10.37960	77.44130
F13	Palar - Porandalar Reservoir - Zero Point	10.36850	77.47210
F14	Palani- Perumalmalai Road	10.36580	77.51230
F15	Annanagar Junction (Palani - PerumalMalai)	10.38670	77.54210
G1	AnchuraMandai	10.31300	77.53710
G2	GenguvarOdai	10.31110	77.52030
G3	Nagamaratalai	10.29910	77.48160
G4	UlrapulranKanavai	10.32740	77.42420
G5	Attivayal	10.32350	77.40730
G6	VadugamannadiVarai	10.32040	77.39450
G7	Kundupatti Metal Road	10.30280	77.38050
G8	Kukal - Pazhamputhur Road	10.28800	77.38120
G9	KulattaKanavay Falls	10.27520	77.40280
G10	GuruswamiMettu	10.25400	77.46860
G11	KurudikaduMalai	10.23280	77.56470
G12	Palamalai	10.23400	77.57380
G13	Perumalmalai - Adukkam Road	10.25260	77.55650
H1	Krishnan Koil-Starting point of DGL-Then	10.21720	77.70630
H2	ManthuraiOdai	10.19600	77.70110
H3	Forest CheckpostKamakkapatti (KKL- Ghat Road)	10.18060	77.66770

IndiaCode

H4	Manjalar Zero point- Northern Side	10.20070	77.63630
H5	Rasimalai Nagar	10.19190	77.62520
H6	Devadanapatti - Manjalar Road	10.18030	77.63840
H7	Siphon Near Devadanapatti	10.15030	77.63980
H8	Batlagundu - Periyakulam Road	10.14650	77.63770
H9	Entrance of Horticultural College	10.12970	77.58760
H10	Endapuli - Murugamalai Metal Road	10.13430	77.57840
H11	Murugamalai Main Road	10.13990	77.56480
H12	PuliOdai	10.17970	77.57500
H13	Pulikuttar River	10.18380	77.55310
H14	Kumbakarai - Adukkam Road	10.18410	77.53870
H15	Kumbakari -Periyakulam Road	10.17700	77.53560
H16	Pambar River	10.17100	77.53890
H17	VarahaNadi	10.13950	77.49150
H18	Periyar River	10.13610	77.47820
H19	Sotuparai Reservoir	10.13140	77.46830

IndiaCode

TABLE C: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY HAVING ZERO EXTENT OF ECO-SENSITIVE ZONE

ID	Latitude	Longitude		ID	Latitude	Longitude	Justification
1	10.39100	77.37270	to	2	10.38700	77.37860	Kudaraiyar reservoir
3	10.37090	77.41880	to	4	10.37280	77.43640	PeriyaAmmapatty Reserve Forest
5	10.36860	77.47210	to	6	10.36590	77.51230	Palar - Porunthalar Reservoir
7	10.38580	77.54220	to	8	10.31350	77.53930	Ayakudi RL
9	10.25110	77.38950	to	10	10.25210	77.42030	Poombarai village
11	10.24970	77.47090	to	12	10.23780	77.53460	Kodaikanal Township Area
12	10.23780	77.53460	to	13	10.23715	77.53513	Tiger Shola RF
14	10.25260	77.55650	to	15	10.28000	77.55140	Perumalmalai Village
15	10.28000	77.55140	to	16	10.29900	77.56360	Perumalmalai Shola RF
16	10.29900	77.56360	to	17	10.31610	77.61940	Ayakudi RL
17	10.31610	77.61940	to	18	10.28070	77.67260	Vertical Slope Area
18	10.28070	77.67260	to	19	10.26840	77.67050	Kannivadi Block II RF
19	10.26840	77.67050	to	20	10.23710	77.70770	Vertical Slope Area
20	10.23710	77.70770	to	21	10.21720	77.70640	Mankaradu RF
22	10.13000	77.46440	to	23	10.11990	77.26660	Bodi North Hills RF and Kotakudi RF

23	10.11990	77.26660	to	24	10.21620	77.29410	Tamilnadu Kerala Interstate Boundary
24	10.21620	77.29410	to	25	10.26100	77.33840	Anamalai Tiger Reserve Buffer Area
25	10.26100	77.33840	to	26	10.40220	77.31680	Anamalai Tiger Reserve

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No	Division	Name of the Villages	Geo – Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	Kodaikanal	Andipatty	10°26’ 13.2”	77°22’ 42.96”
2		Velayudampalayampudur	10° 15’ 44.78”	77° 15’ 11.88”
3		Pappampatty	10° 15’ 44.12”	77° 14’ 33.39”
4		Kavalpatty	10° 15’ 43.63”	77° 15’ 14.99”
5		Annanagar	10°23’ 9.97”	77° 32’ 28.12”
6		Adukkam	10° 14’ 16.98”	77° 33’ 08.21”
7		Kodaikanal	10° 14’ 16.07”	77° 29’ 20.85”
8		Kookal	10° 17’ 09.23”	77°21’ 48.04”
9		Poomparai	10° 15’ 23.10”	77°24’ 28.13”
10		Thandikudi	10° 18’ 35.32”	77° 38’ 35.11”
11		Pannaikadu	10° 16’ 43.47”	77° 37’ 42.81”
12		Poolathur	10° 13’ 27.03”	77° 39’ 56.51”
13		Vellagavi – Periyar	10° 9’ 26.54”	77°26’ 26.95”
		Vellagavi - Chinnur	10° 11’ 50.49”	77° 29’ 59.70”
14		Devathanapatty	10° 08’ 47.86”	77° 38’ 36.90”
15		Ganguvarpatty	10° 10’ 14.58”	77° 41’ 52.86”
16		Vadakarai	10° 08’ 53.50”	77° 31’ 02.62”

IndiaCode

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-Sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.04 21:38:55 +05'30'